सं0- 361 जेएल/22-3-2025-ई-1960221

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2025

विषय:- जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध विचाराधीन बन्दी उमर अंसारी पुत्र स्व0 श्री मुख्तार अंसारी को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-32425/सामा-1(5)/159/बन्दी स्था0/2025, दिनांक 13-08-2025 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध विचाराधीन बन्दी उमर अंसारी पुत्र स्व0 श्री मुख्तार अंसारी को जिला कारागार, कासगंज में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर/कासगंज।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर/कासगंज।
6- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक जिला कारागार, गाजीपुर/कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को कारागार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव